दां.प्रकी.(जमा.) 4459/2004

09.12.2004

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मृदुल जैन,
जन अभियोजक श्री अशोक उपाध्याय, उपस्थित।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी का तर्क है कि अभियुक्त खाने-कमाने के लिए बाहर चला गया था उसके बाद वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका है और दिनांक 20.10.2004 से हिरासत में है। अभियुक्त को पुन: जमानत की सुविधा दी जावे, वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा और हर पेशी पर उपस्थित होता रहेगा।

योग्य जन अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया और तर्क किया कि अभियुक्त 18 साल तक मफरूर रहा है, ऐसे प्रकरण में अभियुक्त को जमानत पर रिहा नहीं किया जावे, अभियुक्त ने पूर्व में जमानत का दुरूपयोग किया है।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय के आधार पर अभियुक्त का जमानत का प्रार्थना-पत्र खारिज किया है। मेरे द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय 2002 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (सुप्रीम कोर्ट) 807 (जगतार सिंह बनाम सत्येन्द्र कौर) का अवलोकन किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त प्रकरण में यह माना है कि जहां अभियुक्त लम्बे अरसे से फरार हो, ऐसे प्रकरण में अग्रिम जमानत स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। इस

प्रकार उपरोक्त प्रकरण में फरार अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा कब किया जाए, प्रश्न निहित था, जिसके सम्बन्ध में यह विनिश्चय दिया गया था। यह सही है कि जमानत का दुरूपयोग करने वाले अभियुक्त को भी बार-बार जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। इस प्रकरण में अभियुक्त 1986 से अनुपस्थित चल रहा था और उसके खिलाफ वारण्ट गिरफ्तारी व स्थाई वारण्ट भी जारी हुए उसके बाद वह गिरफ्तार होकर न्यायिक हिरासत में है। योग्य अभिभाषक अभियुक्त का तर्क है कि अकाल पड़ जाने की वजह से अभियुक्त खाने कमाने बाहर चला गया था, अत: न्याय हित में उसे पुन: जमानत का लाभ दिया जावे। प्रकरण में आई परिस्थितियों को देखते हुए, बिना गुणावगुण पर राय दिए, अभियुक्त-प्रार्थी को न्याय-हित में मैं पुन: एक जमानत का अवसर देना न्यायोचित समझता हूं।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी काना पुत्र गब्बा बंजारा योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जावे, उपस्थिति हेतु, बीस हजार रूपए का बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार रूपए की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार)

जी.एन.शर्मा